न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

राजस्व वाद संख्या–106/धारा 145 द0प्र0स0

कृष्णा साव वनाम शिवदत यादव

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
13	10/23	अभिलेख उपस्थापित। वर्तमान वाद की कार्यवाई धारा 145द0प्र0स0 के अन्तर्गत चल रही है। वाद में वर्णित भूमि निम्न है।	

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	उ0	द0	पु0	प0
चफला	12	421	0.68ए0	परती पत्थर	मनोज यादव	प्लॉट सं0 437	करमु भुईयां
		437	0.63ए0	अहरा का बांध	परती पत्थर	प्लॉट सं0 489	प्लॉट सं0 421

वाद की कार्यवाई में प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद में वर्णित जटाई कान्दू वल्द रामचरण कान्दू की खतियानी भूमि थी जिसके वंशज प्रथम पक्ष कृष्णा साव है। सखीचंद साव जिनके हिस्से से प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष को प्राप्त हुआ है वो सखीचंद साव जटाई कान्दू के नाती थे प्रथम पक्ष पर नाती है। इनके द्वारा वंशावली किया गया है जिसके अनुसार जटाई कान्दू उर्फ जटाई साव के दो पुत्र 1. रामवृक्ष साव 2. वंशरोपण साव हुए। रामवृक्ष साव के पुत्र माधो साव हुए तथा इनके पुत्र कृष्णा साव प्रथम पक्ष है। वंशरोपण साव के पुत्र सखीचंद साव हुए जिनके द्वार प्रथम पक्ष कृष्णा साव को भूमि दिया गया। खाता सं0 12 के विभिन्न प्लॉट में कुल 8.67 ए0 प्रथम पक्ष को प्राप्त हुआ। इस 8.67ए0 का पूरी जाँच पड़ताल एवं कानून प्रकृया के उपरांत दिनांक 22.06.2009 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित हुआ। सम्पूर्ण प्राप्त रकबा 8.67 ए0 मांग मांग पंजी में दर्ज होकर रसीद निर्गत हुआ। पथम पक्ष का दखल कब्जा लगातार चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कभी कोई दखल कब्जा नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष षडयंत्र कारी है जो सखीचंद साव की भूमि हड़पने के लिए कागज बनवा रहा है। सखीचंद साव द्वारा अपने जीवन काल में अपनी सम्पूर्ण भूमि पर दखल कब्जा अपने भतीजा कृष्णा साव को दे दिए तथा वाद में स्वर्गवास हो गया। द्वितीय पक्ष द्वारा इस भूमि की नीलामी की झूठी व जाली कागजात दाखिल किया गया। जबकि जाँच में यह स्पष्ट है कि उस नीलामी केस से ग्राम चफला की कोई जमीन नीलामी नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 05.01.16 के आलोक में निलाम के रेकर्ड का नकल सत्यापित प्रति जमा करने का आदेश हुआ परन्तु द्वितीय पक्ष सत्यापित प्रति नहीं दे पाया स्पष्ट है कि द्वतिय पक्ष द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा चला आ रहा है जो गवाहों की गवाही से भी स्पष्ट है इसलिए धारा 145द0प्र0स0 के तहत वाद भूमि पर प्रथमपक्ष कृष्णा साव का दखल कब्जा घोषित किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया है जो इस प्रकार है। द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादी भूमि ग्राम चफला

खाता सं0 12 प्लॉट सं0 421 एवं 437 रकबा 0.63ए0 भूमि प्रथम पक्ष 1908 सर्वे में जटाई कान्दू पिता रामचरण कानू तथा वंशारोपण कानू पिता तिलक कान्दू के नामें दर्ज है। किन्तु दोनो सर्वे के पश्चात अन्यंत्र चले जाने के कारण भूमि पर अपना दावा छोड़ दिए फलतः इस भूमि का रेन्ट नहीं मिलने के कारण तत्कालिक जमींदार लगान हेतु 1937–1938 में डिप्टी मजिस्ट्रेट सब जज पलामू के यहॉ रेन्ट सूट 183/1937–38 में मुकदमा किए जिससे अन्य भूमि के साथ यह भूमि भी राजा बहादुर सेटल कर दिया गया जिसके वाद अन्य रैयत के साथ–साथ विपक्षी के पिता बचन महतो को उक्त भूमि के अलावे 6.57ए0 भूमि बंदोवस्त किया गया जिसके आधार पर विपक्षी के पिता जमींदार को लगान देकर जमींदारी रसीद कटाते रहे एवं उक्त भूमि पर दखल कब्जे में आए। इसके बाद सरकार के यहां भी रसीद कटाये। द्वितीय पक्ष का कथन है कि इनका दखल कब्जा इस वाद भूमि पर चला आ रहा है। प्रथम पक्ष कभी दखल कब्जा में नहीं है। इनका दखल कब्जा इस वाद की कार्यवाई में वर्णित भूमि पर 145द0प्र0स0 के तहत घोषित किया जाय की प्रार्थना की गई। वाद की कार्यवाई में प्रथम पक्ष द्वारा गवाह प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष गवाही दर्ज कराई गई है। पूर्व से वर्तमान तक प्रथम पक्ष ही दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष न्यायालय में कइ अवसर दिए जाने के बाद भी न तो गवाह प्रस्तुत कर पाये न ही यह साबित कर पाये कि इस भूमि पर उनका दखल कब्जा है।

अतः सभी बिन्दुओं पर गौर करने के उपरांत वाद में वर्णित भूमि पर प्रथम पक्ष कृष्णा साव का दावा सही पाते हुए दखल कब्जा घोषित किया जाता है। इसके साथ हीं इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

13.10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 13:40:36 +05:30
Location: 192.168.223.152